17/5/24

आदेश प्रार्थना 151 सीपीसी

महेन्द्र बनाम राधा देवी आदि

अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी जरिए अधिवक्ता श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता के द्वारा पेश किया गया जो कि प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट के साथ पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में पूर्व में अधिवक्ता श्री मदन लाल मेहरड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण जवाब बंद किया जा चुका है एवं अप्रार्थी संख्या 11 औपचारिक पक्षकार होने के कारण जवाब बंद किया जा चुका है।

प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पर वकील उभय पक्ष बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने, प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का मामला बनता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा से प्रतिबंन्धित किया जाता है कि रकबा तहसील पीलीबंगा के वाके चक 5 बीआरपी प.न. 23/358 का किला न 5/.253, 6/.253, 15/.253 की कुल 0.759 है0 नहरी मय गै. मु. खाला रास्ता दर्ज की यथास्थिति ताफैसला मूल प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट निषेधाज्ञा बनाये रखे। पत्रावली मूल प्रार्थना पत्र संलग्न रहे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.26 13:18:23 IST
Reason: SelfAttested